

पद : युवा पेशेवर [कॉर्पोरेट मामले]	पद कोड : MT-09
कुल पद : 1	
समेकित पारिश्रमिक : योग्यता और अनुभव के आधार पर 30,000/- से 50,000/- रुपये प्रतिमह।	
अवधि : प्रारंभिक रूप से यह नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	
कार्य विवरण : कॉर्पोरेट और कानूनी मामले (सीएलए) प्रभाग का नेतृत्व कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है, जिसके दो अलग-अलग प्रभाग हैं - कॉर्पोरेट मामले जो बोर्ड मीटिंग और सामान्य मीटिंग मामलों, डीपीई अनुपालन, आरटीआई और अन्य वैधानिक और नियामक मामलों को संभालते हैं और कानूनी मामले जो सभी नीति और योजना से संबंधित मामलों जैसे समझौते, समझौता ज्ञापन, जीएलए, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कानूनी परिश्रम और माननीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मुकदमेबाजी के मामलों को संभालते हैं।	
संस्था को ऐसे गतिशील और प्रेरित व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिनमें कार्य के प्रति प्रबल जुनून हो और जो तीव्र गति एवं नवाचार-केंद्रित वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों।	
मुख्य उत्तरदायित्व : - अंतर-विभागीय समन्वय में कॉर्पोरेट मामलों की टीम का सहयोग करना। - बोर्ड मीटिंग और अन्य समिति बैठकों के दस्तावेजीकरण में सहायता करना। - डीपीई और डीबीटी मामलों के अनुवर्ती, समन्वय और समेकन में कॉर्पोरेट मामलों की टीम का सहयोग करना। - वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना और लेखा परीक्षा समन्वय और दस्तावेजीकरण में कॉर्पोरेट मामलों की टीम का सहयोग करना। - आरटीआई और संसदीय मामलों में कॉर्पोरेट मामलों की टीम का सहयोग करना। - कॉर्पोरेट मामलों के लिए फ़ाइलों एवं डेटा का प्रबंधन करना।	अनिवार्य योग्यता : बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए/एमबीए) या कॉमर्स (बी.कॉम/एम.कॉम) या कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) में स्नातक या मास्टर डिग्री। वांछनीय कौशल : एमएस ऑफिस, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ई-ऑफिस, एमसीए में दक्षता। अंग्रेजी में मजबूत मौखिक और लिखित संचार कौशल, हिंदी राजभाषा में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। कार्य अनुभव : योग्यता के बाद, 1- 2 वर्ष [निजी (एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/फर्म)/सरकारी विभाग] आयु सीमा : आवेदन की अंतिम तिथि को 30 वर्ष।

** इस विज्ञापन में दर्शाई गई कुल रिक्तियों की संख्या, आवश्यकता पड़ने पर बाइरैक संस्था के विवेकानुसार बढ़ाई/घटाई/रद्द की जा सकती है।